न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 105/2020

जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. किरण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलराम सुथार – – प्रार्थी
2. श्री मनुभाटीवाल – – अप्राथी 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–15.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी चक 1 डी छोटी साधूवाली तहसील श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। प्रार्थी का रकबा चक हाजा के खाता संख्या– 30/25 मुरब्बा नम्बर–19 का किला नम्बर–18/2,19,20 में दर्ज है। मुरब्बा नम्बर–19 में किला नम्बर–5,6,15,16,25 में स्वीकृत रास्ता है जिसमें पक्की सड़क का निर्माण हुआ, हुआ है और इसी सड़क से प्रार्थी अपने घर से खेत में आता–जाता है। आंशिक नक्शा सलंग्न प्रार्थना पत्र है। चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर–1 9 में किला नम्बर–1 ता 10 में नहर है व किला नम्बर–5,6,15,16,25 में सड़क बनी हुई है और प्रार्थी का रकबा मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2,19,20 में है और प्रार्थी मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–1 6,17,18/1 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है और इसी मुरब्बा के किला नम्बर–16,17, 18,19,20 में किला नम्बर–21 ता 25 के साथ चिपती हुई आड़ चल रही है जिससे प्रार्थी अपने खेत में सिंचाई करता है और इसी खाले से अप्रार्थी संख्या–1 भी अपने खेत को सिंचित कर रहा है। चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–1 3/25 मुरब्बा नम्बर–19 का किला नम्बर–16,17, 18/1 अप्रार्थी संख्या–1 के नाम में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी नकल शामिल प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज इसी भूमि चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–16,17,18/1 में से होकर प्रार्थी अपने खेत मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2 में प्रवेश करता है और वर्तमान में भी प्रार्थी इसी रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपने खेत में आता–जाता है और इसी रास्ते के अलावा दूसरा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिए नहीं है। प्रार्थी के रकबा चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–30/25 के मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2,19,20 के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है अतः 251 'ए' आरटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई स्वीकृत रास्ता ना होने के कारण उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता में आवागमन में बाधा उत्पन्न करने लग गया है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता में आने वाली भूमि के लिए मुआवजा स्वरूप डीएलसी रेट अथवा रास्ता में आयी भूमि की ऐवज में उसके बराबर भूमि देने के लिए तैयार है। अतः कोई स्वीकृत रास्ता ना होने से उपरोक्त कानून के तहत प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाना आवश्यक हो गया है जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो सके। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी के रकबा चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–30/25 में मुरब्बा नम्बर–19 किला नम्बर–18/2,19,20 में आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी संख्या–1 के रकबा चक 1 डी छोटी खाता संख्या–1 3/25 के मुरब्बा नमबर–19 के किला नम्बर–16,17,1 8/1 में किला नम्बर–13,14,15 के साथ चिपता हुआ 1–1 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.01.2021 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार द्वितीय पक्षकार चक 1 डी छोटी साधूवाली तहसील श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। द्वितीय पक्षकार का रकबा चक हाजा के खाता संख्या–30/25 मुरब्बा नम्बर–19 का किला नम्बर–18/2,19,20 में दर्ज है द्य चक नम्बर–1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर–19 में किला नम्बर–5,6,15, 16,25 में स्वीकृत रास्ता है जिसमें पक्की सड़क का निर्माण हुआ, हुआ है और इसी सड़क से द्वितीय पक्षकार अपने घर से खेत में आता–जाता है। यह कि चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर–19 में किला नम्बर–1 ता 10 में नहर है व किला नम्बर–5,6,15,16,25 में सड़क बनी हुई है और द्वितीय पक्षकार का रकबा मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2,19,20 में है और द्वितीय पक्षकार मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–16,17,18/1 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है और इसी मुरब्बा के किला नम्बर–16,17, 18,19,20 में किला नम्बर–21 ता 25 के साथ चिपती हुई आड़ चल रही है जिससे द्वितीय पक्षकार अपने खेत में सिंचाई करता है और इसी खाले से प्रथम पक्षकार भी अपने खेत को सिंचित कर रहा है। चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–13/25 मुरब्बा नम्बर–19 का किला नम्बर–16,17,18/1 प्रथम पक्षकार के नाम में दर्ज रिकार्ड है। प्रथम पक्षकार के नाम दर्ज इसी भूमि चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–16,17,18/1 में से होकर द्वितीय पक्षकार अपने खेत मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2 में प्रवेश करता है और वर्तमान में भी द्वितीय पक्षकार इसी रास्ते से अपने खेत में आता–जाता है और इसी रास्ते के अलावा दूसरा अन्य कोई रास्ता द्वितीय पक्षकार के खेत में आने–जाने के लिए नहीं है। द्वितीय पक्षकार के रकबा चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–30/25 के मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2,19,20 के लिए कोई रास्ता स्वीकतशुदा नहीं है। अतः 251 'ए' आरटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई स्वीकत रास्ता ना होने के कारण उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र द्वितीय पक्षकार द्वारा ब अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया गया है। अब दोनो पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा के अनुसार द्वितीय पक्षकार द्वारा रास्ता प्राप्त करने के लिए रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपनी कृषि भूमि में से वाका चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2 में से 27 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रकबा (किला नम्बर–18/1 के साथ चिपता हिस्सा) को प्रथम पक्षकार को दिया जावेगा जिसे प्रथम पक्षकार अपने नाम से करवाने का अधिकारी होगा तथा काश्त कर सकेगा जिसका भविष्य में मालिक प्रथम पक्षकार ही होगा।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी वर्तमान मे अपने रकबा मे आने–जाने के लिए मु0न0 19 के किला न० 16,17 एवं 18/1 की भूमि में स्थित रास्ता को काम में ले रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि के लिए निकटतम कटानी रास्ता चक 1 डी छोटी के मु0न0 19 के किला न0 16,17 एवं 18/1 की भूमि में आसानी रहती है। यही रास्ता प्रार्थीया द्वारा चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 1 डी छोटी के मु0न0 19 के किला न0 16,17 एवं 18/1 की भूमि में से आसानी रहती है। प्रार्थी की भूमि को रास्ता नहीं है अतः रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थी को वर्तमान में आवागमण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो रकम पर आपसी सहमत नहीं है। पक्षकार व प्रतिकार की जमीन हेतु भी आपसी रजामन्दी है। प्रस्तावित रास्ता में कोई पेड़ नहीं है। उपपंजीयक की डीएलसी के अनुसार टीआरए की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी की नी राशि 124188 रूपये बनती है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य आपसी सहमति है। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 डी छोटी के खाता संख्या–30/25 में मुरब्बा नम्बर–19 किला नम्बर–18/2,19,20 में आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी संख्या–1 के रकबा चक 1 डी छोटी खाता संख्या–13/25 के मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–16,17,18/1 में किला नम्बर–13,14,15 के साथ चिपता हुआ 1–1 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता में आने वाली भूमि के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में से मुताबिक राजीनामा चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–19 के किला नम्बर–18/2 में से 2.5 बिस्वा रकबा (किला नम्बर–18/1 के साथ चिपता हिस्सा) को अप्रार्थी को देगा। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते व रास्ते के मुआवजा के रूप में दी जानें वाली भूमि का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.02.2021 को जारी केया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

15/02/21

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner